The Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2025

Act No. 20 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 673] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2025 — श्रावण 30, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2025

क्र. 5969/डी. 125/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13–08–2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 20 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025

ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने हेतु एवं अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. **1.** (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।

अधिनियमों में कतिपय संशोधन. **2.** अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम, अनुसूची में उल्लिखित विस्तार तक एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण. **3.** अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माना एवं शास्तियों में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित जुर्माने या शास्ति के न्यूनतम राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि स्वमेव हो जाएगी।

व्यावृत्तियाँ. **4.** (1) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों का प्रशासनिक कार्यक्षेत्र, पूर्ववत सम्बंधित विभागों के पास रहेगा। संबंधित विभाग, अपने प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर लागू नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे और इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णायक अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और वसूली तंत्र को

ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्त करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम की कोई बात इसके प्रवृत्त होने के पूर्व की, किसी विधिक कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी और न ही किसी अवैधानिक कार्यवाही को विधिमान्य करने वाली समझी जाएगी।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1.	**छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973** (क्र. 23 सन् 1973) में, (1) धारा 69-ख की उप-धारा (2) में शब्द "साधारण कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो रूपये पचास हजार तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रूपये तक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 69-ख की उप-धारा (4) में शब्द "तीन माह की अवधि तक के कारावास या पांच हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों से "के स्थान पर शब्द" पच्चीस हजार रूपये तक की “शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (3) धारा 69-ख की उप-धारा (5) में शब्द "जुर्माने" तथा "एक” के स्थान पर शब्द “शास्ति" तथा "पांच" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (4) धारा 69-ख की उप-धारा (6) में शब्द "जुर्माने" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (5) धारा 77 की उप-धारा (2) में शब्द "दोषसिद्धि पर सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500/- रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रूपये से अनधिक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

2.	**छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973** (क्र. 44 सन् 1973) में, (1) धारा 16 की उप-धारा (4) में, शब्द ''पांच सौ रूपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 16 की उप-धारा (4) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:- ''परंतु यह कि इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट सीमा, महिला स्व-सहायता समूह के लिए पांच सौ रूपये होगी।'' (3) धारा 31-क के स्थान पर, निम्नानुसार धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:- "**31-क. रजिस्ट्रार के रूप में शिक्षा अधिकारी.-** इस अध्याय में, रजिस्ट्रार से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम 1978 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षा अधिकारी भी हो सकेगा।" (4) धारा 38 की उप-धारा (1) में शब्द "पांच सौ" तथा "पचास" के स्थान पर शब्द "दो हजार" तथा "पांच सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (5) धारा 38 की उप-धारा (2) में शब्द "दो सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाए। (6) धारा 38 की उप-धारा (2), निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:- ''परंतु यह कि इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट सीमा, महिला स्व-सहायता समूह के लिए दो हजार रूपये होगी।'' (7) धारा 39 में, शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दो सौ" प्रतिस्थापित किया जाए। (8) धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:- "**39-क. अपराध का शमन.-** **(1)** इस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4), धारा 38 और धारा 39 के उल्लंघन की स्थिति में, रजिस्ट्रार, चूककर्ता सोसायटी/पदाधिकारी/व्यक्ति द्वारा पांच हजार रुपए की राशि का भुगतान करने पर, उपर्युक्त धाराओं के अधीन उक्त उल्लंघन के शमन की अनुमति दी जा सकेगी । परंतु यह कि इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट सीमा, महिला स्व-सहायता समूह के लिए दो हजार रूपये होगी।

	(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट शमन राशि का भुगतान करने पर, चूककर्ता सोसायटी/पदाधिकारी/व्यक्ति को उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत उक्त उल्लंघन से मुक्त कर दिया जाएगा और वह अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”
3.	**छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960** (क्र. 27 सन् 1960) में, (1) धारा 93 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :- "**93-क. अपराध का प्रशमन.-** (1) धारा 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 और 93 अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर, या तो अभियोजन संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत की राशि के लिए प्रशमन किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा विहित करे। (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट प्रावधान- (क) उसी प्रकार का अपराध, जिसका पूर्व में प्रशमन किया गया हो, के कारित करने की, (ख) उसी प्रकार का अपराध, जिसके लिए व्यक्ति, पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के कारित करने की, तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर दूसरी बार या तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा कारित अपराध पर लागू नहीं होगा। (3) उप-धारा (1) में प्राधिकृत अधिकारी, राज्य शासन के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के प्रशमन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। (4) अपराध के प्रशमन के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप एवं रीति में किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। (5) जहां किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व, प्रशमन हो गया हो,

	वहां उस अपराध के संबंध में, अपराधी, जिसके अपराध का इस प्रकार प्रशमन हो गया है, के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा। (6) जहां किसी अपराध का प्रशमन, अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा प्रशमन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, लिखित में न्यायालय, जिसमें अभियोजन लंबित है, के संज्ञान में लाया जाएगा तथा अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना पर, व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया गया है, को निर्मुक्त किया जाएगा। (7) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश का पालन करने में विफल रहता है, वह, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, उक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि भुगतान करने हेतु दायी होगा। (8) इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं उसके अनुसरण के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन नहीं किया जाएगा।"
4.	**छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम,1915** (क्र. 02 सन् 1915) में, (1) धारा 36-क में शब्द "वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिए कम से कम पांच हजार रुपए की शास्ति से दंडनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 36-च की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जावे, अर्थात- "(1) जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मत्त पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए दो हजार रूपये की शास्ति से तथा अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने के दशा में, पांच हजार रूपये की शास्ति से दण्डित होगा।" (3) धारा 36-च की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने से, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से

दण्डित किया जाएगा” के स्थान पर शब्द “प्रथम अपराध के लिये शास्ति रूपये दस हजार तथा पश्चात्वर्ती अपराध हेतु रूपये बीस हजार से दंडित किया जावेगा” प्रतिस्थापित किया जाए।

(4) धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात -

"**39. प्राधिकृत अधिकारी आदि द्वारा अवचार के लिए शास्ति.-**

जो कोई-

(क) किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर या ऐसी मांग करने के लिए सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति या अधिनियम के अधीन आपेक्षित कोई जानकारी ऐसी पंजी, रिकॉर्ड या दस्तावेज अनुज्ञापत्र या पास साशय प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह पच्चीस हजार रूपये तक की शास्ति से दण्डनीय होगा।

(ख) धारा 34 या धारा 62 के अधीन बनाये गये किसी नियम के सिवाय इस अधिनियम के अधीन बनाए गये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है, एक लाख रूपये तक की शास्ति से दण्डनीय होगा।

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति द्वारा कोई बाधा पैदा की जाती है या किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो वह एक लाख रूपये तक शास्ति से दण्डनीय होगाः

परन्तु राज्य शासन या राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगम द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी / एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी विधिविरूद्ध कृत्य के लिये उत्तरदायी होंगे।"

(5) धारा 40 की उप-धारा (1) में, शब्द “कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा” के स्थान पर शब्द “प्रथम अपराध के लिए पाँच हजार रूपए की शास्ति तथा बार-बार अपराध करने पर दस हजार रूपए की शास्ति से दण्डित किया जावेगा” प्रतिस्थापित किया जाए।

(6) धारा 40 की उप-धारा(2) में शब्द “जुर्माने” के स्थान पर शब्द “शास्ति” प्रतिस्थापित किया जाए।

5.	**छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018** (क्र. 19 सन् 2018) में, (1) धारा 24 में शब्द "तो किसी विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा, वह ऐसे कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो ऐसी राशि तक हो सकेगा जो ऐसे सदस्य के तीन माह के वेतन से अधिक न हो अथवा दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "तो किसी विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही के अलावा, प्रथम अपराध के लिए सदस्य के 02 माह के वेतन से अनधिक का शास्ति तथा द्वितीय अपराध के लिए सदस्य के लिए 05 माह के वेतन से अनधिक का जुर्माना, तथा बार-बार अपराध के लिए 03 माह से अनधिक के कारावास या सदस्य के 06 माह के वेतन से अधिक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 48 में शब्द "ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिए वह शास्ति जो दस हजार रूपये होगी द्वितीय अपराध के लिए बीस हजार रूपये जुर्माने अथवा तीन माह के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।
6.	**छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960** (क्र. 17 सन् 1961) में, (1) धारा 59-क में उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:- "(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार या धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष कोई पुस्तक या कागज-पत्र पेश करने से इंकार करता है, जिसे पेश करना उप-धारा (1) के अधीन उसका कर्तव्य है, या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा उप-धारा (1) के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इंकार को प्रमाणित कर सकता है और रजिस्ट्रार बचाव में दिए गए किसी कथन को सुनने के पश्चात चूककर्ता पर बीस हजार से अन्यून एवं पचास हजार रुपए से अनधिक का शास्ति लगा सकता है।" (2) धारा 73 की उप-धारा (2) में शब्द "जुर्माने", "दो सौ रूपये तक" तथा "पांच" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दो हजार रुपये" तथा "पांच सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए ।

(3) अध्याय IX में, विद्यमान अध्याय शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"**अपराध,अनियमितताएं, दंड एवं शास्तियां**"।

(4) धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

" **74. अपराध.-** इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि –

(क) समिति संचालक या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट बनाता है या मिथ्या सूचना देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या

(ख) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिये या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा-पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(घ) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(ङ) जो कोई, समिति के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव से पहले, उसके दौरान या उसके बाद कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है; या

(च) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों, अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 53 या 70 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो इस धारा में

निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति, भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा।"

(5) धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"**74-क. अनियमितताएं.-** इस अधिनियम के अधीन अनियमितता मानी जाएगी, यदि-

(क) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशधन संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास तथा जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें कागजपत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा, 53, 58, 59, 60, 67 तथा 70 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या

(घ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 42 की उप-धारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(ङ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति का, जो धारा 40 की उप-धारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; या

(च) किसी सोसाईटी का कोई पदाधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है; या

(छ) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किसी भी कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवहेलना करता है; या

	(ज) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो। स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति, भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा।" (6) धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:- "**75. अपराधों के लिए दंड.-** किसी सोसाइटी, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो कि उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उसके खिलाफ की जा सकती है, बीस हजार से अन्यून एवं पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि वह धारा 74 में वर्णित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।" (7) धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित नवीन धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:- "**75-क. अनियमितताओं के लिए शास्ति.-** किसी सोसाइटी, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो कि उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उसके खिलाफ की जा सकती है, धारा 74-क में उल्लिखित किसी भी अनियमितता के लिए रजिस्ट्रार द्वारा 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।"
7.	**छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961** (क्र. 37 सन् 1961) में, (1) धारा 145 में, शब्द "जुर्माने" के स्थान पर तथा ''दो सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 179 की उप-धारा (3) में शब्द "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति" एवं "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (3) धारा 182 की उप-धारा (4) में शब्द "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

	(4) धारा 183 की उप-धारा (6) में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (5) धारा 185 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने", "पच्चीस रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (6) धारा 187 की उप-धारा (8) में, शब्द "जुर्माने", "एक हजार रूपये तक" तथा "एक सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दस हजार रूपये" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (7) धारा 194 की उप-धारा (2) के खंड (क) में, शब्द "जुर्माने", "दो सौ पचास रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दो हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (8) धारा 197 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (9) धारा 198 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (10) धारा 208 की उप-धारा (5) में, शब्द "एक हजार रूपये तक", के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (11) धारा 211 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (12) धारा 212 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (13) धारा 222 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" तथा "एक सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "एक हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (14) धारा 222 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (15) धारा 224 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "दस रूपये तक का", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

	(16) धारा 225 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (17) धारा 226 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", तथा "पच्चीस रूपये तक" तथा "दस रूपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये के" तथा "पांच सौ रूपये के" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (18) धारा 228 में, शब्द "जुर्माने", "एक हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "दो हजार रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "दस हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (19) धारा 231 की उप-धारा (4) में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये से अधिक नहीं" तथा "बीस रूपये प्रतिदिन से अधिक नहीं", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (20) धारा 236 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (21) धारा 236 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (22) धारा 239 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (23) धारा 240 में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (24) धारा 241 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (25) धारा 242 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने", "पच्चीस रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (26) धारा 246 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (27) धारा 250 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(28) धारा 253 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(29) धारा 254 के खंड (क) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(30) धारा 254 के खंड (ख) में, शब्द “जुर्माने” तथा "पचास रूपये तक" के स्थान पर शब्द “शास्ति” तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(31) धारा 255 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच सौ रूपये" तथा "दो हजार रूपये " क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(32) धारा 256 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(33) धारा 257 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(34) धारा 258 में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(35) धारा 260 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति” तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(36) धारा 260 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"(3) उप-धारा (2) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत (किन्तु अन्यथा नहीं) कोई अधिकारी ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी स्थान को बंद कर देने का इस प्रकार आदेश दिये जाने के पश्चात उसका इस प्रकार उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह शास्ति से, जो उस स्थान को बंद करने के उस प्रकार आदेश को हो चुकने के पश्चात के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वहां उस स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"

(37) धारा 262 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(38) धारा 264 की उप-धारा (4) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(39) धारा 268 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(40) धारा 268 की उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

> "(6) किसी स्थान के संबंध में उप-धारा (5) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत (परन्तु अन्यथा नहीं) कोई अधिकारी ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे स्थान को बंद करने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात उसका इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, शास्ति से, जो उस स्थान को बंद करने के आदेश हो चुकने के पश्चात के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह उसका इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।"

(41) धारा 269 की उप-धारा (2) एवं (3) में, शब्द "मजिस्ट्रेट", "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "मुख्य नगरपालिका अधिकारी", "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(42) धारा 272 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए।

(43) धारा 272 की उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात-

> "(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत (किन्तु अन्यथा नहीं) कोई अन्य अधिकारी ऐसे स्थान को बंद कर देने का आदेश देगा

	और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा।"
	(44) धारा 278 में, शब्द "पचास रूपये तक" के स्थान पर शब्द "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।
	(45) धारा 283 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", "दो सौ रूपये तक" तथा "चालीस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "एक हजार रूपये" तथा "एक सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(46) धारा 283 की उप-धारा (4) में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "दस रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच सौ रूपये" तथा "दो सौ रूपये " क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(47) धारा 285 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पचास रूपये", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(48) धारा 290 की उप-धारा (2) में शब्द "पांच सौ रूपये तक" तथा "पचास रूपये से अधिक नहीं", के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(49) धारा 291 में, शब्द "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट", "जुर्माने" तथा "पच्चीस रूपये से अनधिक", के स्थान पर शब्द "मुख्य नगर पालिका अधिकारी", "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(50) धारा 296 में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये तक", "पांच रूपये तक" तथा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये", "पांच सौ रूपये" तथा "मुख्य नगर पालिका अधिकारी" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(51) धारा 297 में, शब्द "जुर्माने", "पचास रूपये तक" तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(52) धारा 300 में, शब्द "मजिस्ट्रेट", "जुर्माने" तथा "पचास रूपये तक", के स्थान पर शब्द "मुख्य नगरपालिका अधिकारी", "शास्ति" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
	(53) धारा 339-झ की उप-धारा (2) में शब्द "जुर्माने", "1,000/- रू." तथा "25,000/- रू.", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दस हजार रूपये" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये"

	क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (54) धारा 339-झ की उप-धारा (4) में शब्द "जुर्माने" तथा "25,000/- रू.", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (55) धारा 356 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने" तथा "पांच सौ रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (56) धारा 357 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने", "पांच सौ रूपये तक", तथा "पांच रूपये तक", के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये" तथा "पांच सौ रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
8.	**छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956** (क्र. 23 सन् 1956) में, (1) धारा 142 की उप-धारा (3) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 165 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (3) धारा 166 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (4) धारा 170 की उप-धारा (1) में, शब्द "अर्थदण्ड" तथा "या तो अभिकर के जो कि वस्तुओं पर वसूली योग्य दस गुने तक हो या पचास रूपये तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (5) धारा 171 में, शब्द "अर्थदण्ड" तथा "या तो आयात पर देय ऐसे पथकर या उपकर के मूल्य के दस गुने तक या पचास रूपये तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (6) धारा 199 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड", "पांच सौ रूपये तक हो सकता है" तथा "पचास रूपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "शास्ति","पांच हजार रूपये होगा" तथा "पांच सौ रूपये हो" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (7) धारा 200 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (8) धारा 201 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (9) धारा 236 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(10) धारा 252 की उप-धारा (2) में, शब्द "अर्थदण्ड", "दो हजार रूपये से अधिक न हो" तथा "दो सौ रूपये" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दो हजार रूपये होगा" तथा "एक हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(11) धारा 257 की उप-धारा (5) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(12) धारा 258 की उप-धारा (4) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(13) धारा 272 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(14) धारा 290 की उप-धारा (2) में शब्द "अर्थदण्ड" तथा "दस रूपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "पांच हजार रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(15) धारा 292-झ की उप-धारा (2) में शब्द "जुर्माने", "1000/- रू." तथा "25000/- रू." के स्थान पर शब्द "शास्ति", "दस हजार रूपये" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(16) धारा 292-झ की उप-धारा (4) में शब्द "जुर्माने" तथा "25000/- रू." के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "दो लाख पचास हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(17) धारा 302 की उप-धारा (2) में शब्द "अर्थदण्ड", "पांच हजार रूपये तक हो सकता है" तथा "दो सौ रूपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "एक हजार रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(18) धारा 332 की उप-धारा (4) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(19) धारा 334 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(20) धारा 335 की उप-धारा (1) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(21) धारा 336 की उप-धारा (1) में, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(22) धारा 336 की उप-धारा (2) में, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(23) धारा 340 की उप-धारा (1) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(24) धारा 341 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(25) धारा 342 की उप-धारा (2) में शब्द "अर्थदण्ड" तथा "100 रूपये तक का हो सकता है किन्तु पच्चीस रूपये से कम नहीं होगा" के स्थान पर शब्द "शास्ति" तथा "दस हजार रूपये का होगा" शब्द क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए ।

(26) धारा 343 की उप-धारा (3) में, शब्द "अर्थदण्ड", "पांच सौ रूपये तक का हो सकता है" तथा "पचास रूपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "पांच सौ रूपये होगा" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए ।

(27) धारा 344 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(28) धारा 345 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(29) धारा 346 में, शब्द "अर्थदण्ड", "एक हजार रूपये तक हो सकता है" तथा "दो हजार रूपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "दस हजार रूपये से" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(30) धारा 346-अ में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(31) धारा 356 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(32) धारा 357 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(33) धारा 358 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(34) धारा 360 की उप-धारा (1) में, शब्द समूह "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" के स्थान पर "पांच सौ रूपये होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(35) धारा 360 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (5) में, शब्द समूह "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" के स्थान पर "एक हजार रूपये होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

(36) धारा 361 में, शब्द समूह "अनुसूची-दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

(37) धारा 363 में, शब्द समूह "विचाराधिकार रखने वाला कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट" तथा "अर्थदण्ड" के स्थान पर "आयुक्त" तथा "शास्ति" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(38) धारा 399 में, शब्द समूह "अनुसूची-दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

	(39) धारा 428 की उप-धारा (1) खण्ड (अ) में, शब्द "जुर्माने", "पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "एक सौ रूपये तक हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "शास्ति", "पांच हजार रूपये होगा" तथा "पांच सौ रूपये होगा" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए। (40) धारा 428 की उप-धारा (1) खण्ड (आ) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (41) धारा 428 की उप-धारा (2) में शब्द "अपराधी", "अर्थदण्ड" तथा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "उल्लंघनकर्ता", "शास्ति" तथा "आयुक्त" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाए । (42) धारा 434 के शीर्षक में, शब्द "**अर्थदण्ड**" के स्थान पर शब्द "**शास्ति**" प्रतिस्थापित किया जाए। (43) धारा 434 (1) में, शब्द समूह "ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त तालिका के तृतीय स्तंभ में उल्लेखित धन तक हो सकता है" के स्थान पर "ऐसे शास्ति से दण्डनीय होगा जो उक्त तालिका के तृतीय स्तंभ में उल्लेखित है" प्रतिस्थापित किया जाए। (44) धारा 434 (2) में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (45) धारा 434 की उप-धारा (2) में, शब्द "जो उक्त तालिका के चौथे स्तंभ में उल्लेखित धन तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द समूह "जो उक्त तालिका के चौथे स्तंभ में उल्लेखित है" प्रतिस्थापित किया जाए। (46) धारा 435 में, शब्द समूह "अनुसूची-दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (47) धारा 437 में, शब्द समूह "अनुसूची-दो के अनुसार" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (48) धारा 438 में, शब्द समूह "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से" के स्थान पर शब्द समूह "या पांच हजार रूपये के अर्थदंड या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए। (49) धारा 439 की उप-धारा (1) में, शब्द समूह "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से" के स्थान पर शब्द समूह "पांच हजार रूपये के अर्थदंड या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए। (50) धारा 440 में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

(51) **अनुसूची-दो** के स्थान पर में, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात:-

"**अनुसूची-दो**

धारा, उप-धारा या खण्ड	**विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख**	**शास्ति जो अधिरोपित की जाएगी**
(1)	(2)	(3)
धारा 142 उप-धारा (3)	निर्धारण कार्य में जानबूझकर विलंब करना या बाधा डालना.	पांच हजार रूपये
धारा 165 उप-धारा (2)	कर की देनदारी के सम्बन्ध में असत्य जानकारी देना या लोप करना.	पांच हजार रूपये
धारा 166	स्वामी के सम्बन्ध में गलत जानकारी देना.	पांच हजार रूपये
धारा 200	मलवहन आदि को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बहाना.	पांच हजार रूपये
धारा 201	प्राधिकार के बिना जल निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन.	पांच हजार रूपये
धारा 236 उप-धारा (2)	अनुज्ञा के बिना मुख्य केबल, पाइप, निकास आदि से संयोजन करना.	पांच हजार रूपये
धारा 257 उप-धारा (5)	अप्राधिकृत स्थान में विक्रय हेतु पशु का वध करना.	पांच हजार रूपये
धारा 258 उप-धारा (4)	देख-रेख में पशु की मृत्यु की स्थिति में निष्क्रियता	एक सौ रूपये

धारा 272 खण्ड (इ)	भयंकर रोग के संबंध में सूचना देने में विफलता.	पांच हजार रूपये
धारा 332	पेड़ो के काटे जाने, भवन के निर्माण या गिराये जाने आदि के समय सड़कों का सुरक्षण आदेशित करने की शक्ति.	पांच हजार रूपये एवं द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में पांच सौ रूपये प्रति दिन
धारा 334	दिशासूचक-स्तंभों, दीप-स्तंभों आदि का नष्ट किया जाना.	एक हजार रूपये
धारा 335 उप-धारा (1)	अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना.	पांच हजार रूपये
धारा 340 उप-धारा (1)	अनुज्ञा के बिना पशुओं का बांधा जाना.	पांच सौ रूपये
धारा 341	समुचित प्रकाश के बिना वाहन चलाना.	पांच सौ रूपये
धारा 344	आग्नेय अस्त्रों का चलाया जाना.	पांच हजार रूपये
धारा 345	खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण.	पांच हजार रूपये
धारा 346-अ	नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना.	पांच सौ रूपये
धारा 356	मुख-बंधनी के बिना कुत्तों को घूमने देना.	एक हजार रूपये

		धारा 357	हाथियों आदि का नियंत्रण नहीं करना.	एक हजार रूपये
		धारा 358	घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना.	एक हजार रूपये
		धारा 363	अवैध रूप से व्यभिचार गृह का संचालन.	पांच हजार रूपये"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2025

क्र. 5969/डी. 125/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2025)

THE CHHATTISGARH JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2025.

An Act to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of certain enactments.

2. The enactments mentioned in the Schedule are hereby amended to the extent mentioned in the Schedule.

Revision of Fines and Penalties.

3. The fines and penalties provided under various provisions of the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten percent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed thereof, after the expiry of every 3 years from the date of commencement of this Act.

4. **(1)** The administrative jurisdiction for the laws specified in the schedule to this Act shall continue to vest in the respective departments as earlier. The concerned departments shall, within their administrative domain, make necessary amendments to the applicable rules and issue appropriate guidelines for the effective implementation of the provisions of this Act. Further, the relevant department shall appoint adjudicating officers, appellate authorities and recovery mechanism for the purposes specified in the schedule, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed. **Savings.**

(2) Nothing in this Act shall be construed to invalidate any legal proceedings instituted or concluded prior to its commencement, nor shall it be deemed to confer validity upon any illegal proceedings.

SCHEDULE

(See Section 2)

1.	**In the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Act, 1973 (No. 23 of 1973),** (1) In sub-section (2) of Section 69-B, for the words "shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with

	fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both" the words "shall be punishable with penalty which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted. (2) In sub-section (4) of Section 69-B, for the words "with imprisonment for a term which may extend to three Months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both", the words "with penalty which may extend to Twenty-five thousand rupees" shall be substituted. (3) In sub-section (5) of Section 69-B, for the words "a fine" and "one", the words "penalty" and "five" shall be substituted, respectively. (4) In sub-section (6) of Section 69-B, for the words "a fine", the word "penalty" shall be substituted. (5) In sub-section (2) of Section 77, for the words "on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with a fine which may extend to five hundred rupees or with both", the words "be liable to a penalty not exceeding fifty thousand rupees" shall be substituted.
2.	**In the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973),** (1) In sub-section (4) of Section 16, for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted. (2) In sub-section (4) of Section 16, the following Proviso shall be added, namely: - "Provided that, the limit specified in this sub-section shall remain five hundred rupees for women's self-help groups."

	(3) For Section 31-A, the following shall be substituted, namely: - "**31-A. Education officer as registrar.-** In this chapter, the term 'Registrar' is also meant to include the Education Officer, as specified in clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Non-Government Educational Institutions (Payment of Salaries to Teachers and Other Employees) Act, 1978." (4) In sub-section (1) of Section 38, for the words "five hundred" and "fifty", the words "two thousand" and "five hundred" shall be substituted, respectively. (5) In sub-section (2) of Section 38, for the words "two thousand", the words "five thousand" shall be substituted. (6) In sub-section (2) of Section 38, the following Proviso shall be added, namely: - "Provided that, the limit specified in this sub-section shall remain two thousand rupees for women's self-help groups." (7) In Section 39, for the word "twenty", the words "two hundred" shall be substituted. (8) After Section 39, the following Section shall be added, namely: - "**39-A. Composition of offence.-**(1) In the event of a contravention of sub-section (4) of Section 16, Section 38, and Section 39 of this Act, the Registrar may, upon payment of a sum of five thousand rupees by the defaulting society/office bearer/ person, permit the compounding of the said contravention under the aforementioned Sections. Provided that, the limit specified in this sub-section shall remain

	two thousand rupees for women's self-help groups. (2) On payment of the compounding amount as specified under sub-section (1), the defaulting society/office bearer/ person shall be absolved of the said contravention under the aforementioned sections and shall not be liable for prosecution.”
3.	**In the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960),** (1) After Section 93, the following Section shall be added, namely:- **"93-A. Composition of offence.-** (1) On application by the accused, either before or after prosecution, a Gazetted Officer may compound offences punishable under Section 86,87,88,89,90,91,92 and 93, as specified by the State Government via notification, for an amount up to 50% of the maximum prescribed fine. (2) The provision contained in sub-section (1) shall not apply to- (a) the commission of an offence of a similar nature which has previously been compounded; (b) the commission of an offence of a similar nature for which the person has previously been convicted; if the person commits such offence for the second time or thereafter within a period of five years from the date of the previous compounding or conviction. (3) Officers authorized under sub-section (1) shall exercise their powers of compounding of such offence under the direction, control, and supervision of the State Government. (4) Every application for compounding of an offence shall be made in

	such form and manner as may be prescribed. (5) Where an offence has been compounded before the institution of prosecution, no prosecution shall be instituted against the offender in respect of such offence which has been so compounded. (6) Where an offence is compounded after the institution of prosecution, such compounding shall be brought to the notice of the court, where the prosecution is pending, in writing by the officer specified under sub-section (1). Upon such intimation of compounding of the offence, the person against whom the offence has been so compounded shall be discharged. (7) Any person who fails to comply with the order issued by the officer specified under sub-section (1) shall, in addition to any other penalty, be liable to pay an amount equivalent to twenty percent of the maximum fine prescribed for the said offence. (8) No offence punishable under the provisions of this Act shall be compounded except in accordance with and subject to the provisions of this Section."
4.	**In the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 02 of 1915),** (1) In Section 36-A, for the words "imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to twenty five thousand rupees, or with both", the words "penalty for the first offence which shall not be less than five thousand rupees" shall be substituted. (2) For sub-section (1) of Section 36-F, the following sub-section shall be substituted, namely:-

	"(1) Except at the premises licensed for consumption of alcohol, if anyone is found consuming alcohol or in intoxicated condition at public places like-educational institutions, hospitals, temples of worship, bus stand, railway station and public road etc., shall be punished with penalty for the first offence of two thousand rupees and in case of repeated offence with a penalty of five thousand." (3) In sub-section (2) of Section 36-F, for the words "fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty five thousand rupees and three months imprisonment", the words "penalty for the first offence of ten thousand rupees, and in case of repeated offence with a fine of twenty five thousand rupees" shall be substituted. (4) For Section 39, the following Section shall be substituted, namely:- "**39. Penalty for obstruction of authorized officers etc.-** Whoever - (a) when called upon by any authorized officer to produce any license or to furnish any information or to submit any register, record, or document as required under this Act, intentionally refuses to do so, or obstructs such officer or any other authorized person in the discharge of their duties, shall be liable for penalty which may extend to twenty-five thousand rupees. (b) contravenes any rule made under this Act other than those made under Section 34 or Section 62, shall be liable for penalty which may extend to one lakh rupees. (c) obstructs, prevents, or hinders any authorized officer or person acting on their behalf in lawful exercise of any power conferred under this

	Act or the rules made thereunder, shall be liable for penalty which may extend to one lakh rupees: Provided that, in cases involving licenses operated by the State Government or by corporations wholly owned and controlled by the State Government, the employees appointed by the authorized agency/agencies in the prescribed manner shall be held liable for any unlawful acts." (5) In sub-section (1) of Section 40, for the words "with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extends to four thousand rupees, or with both", the words "with penalty for the first offence of five thousand rupees and in case of repeated offence with a penalty of ten thousand rupees" shall be substituted. (6) In sub-section (2) of Section 40, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.
5.	**In the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Act, 2018 (No. 19 of 2018),** (1) In Section 24, for the words "with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to an amount not exceeding three months' pay of such member, or with both, in addition to any departmental administrative action he may be subject to", the words "with penalty for the first offence not exceeding 02 months' pay of such member, and in case of second offence, fine not exceeding 05 months' pay of such member and for repeated offence imprisonment which may extend to 03 months or with fine which may extend to an amount not exceeding 06 months' pay of such member, or with both, in addition to any departmental administrative action he may be subject to" shall be substituted. (2) In Section 48, for the words "shall be punishable with imprisonment for a

	term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both", the words "for the first offence shall be liable for a penalty of ten thousand rupees and for the second offence shall be liable to fine of twenty thousand rupees or imprisonment for three months or with both" shall be substituted.
6.	**In the Chhattisgarh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961),** (1) For sub-section (2) of Section 59-A, the following sub-section shall be substituted, namely: - "(2) If any such person refuses to produce before the Registrar or any person authorized by him under sub-section (1) of Section 59 any book or papers which it is his duty under sub-section (1) to produce or to answer any question which is put to him by the Registrar or the person authorized by the Registrar in pursuance of sub-section (1), the Registrar or the person authorised by the Registrar may certify the refusal and the Registrar may, after hearing, any statement which may be offered in defense impose a penalty which shall not be less than twenty thousand rupees but which shall may extend to fifty thousand rupees to the defaulter." (2) In sub-section (2) of Section 73, for the word "fine", "up to two hundred rupees" and "five", the words "penalty", "two thousand rupees" and "five hundred" shall be substituted, respectively. (3) In Chapter IX, for the existing heading of the Chapter, the following heading shall be substituted, namely: - **"OFFENCES, IRREGULARITIES, PUNISHMENTS AND PENALTIES".** (4) For Section 74, the following Section shall be substituted, namely: -

	"**74. Offences. -** It shall be an offence under this Act, if, - (a) a Board of Directors or an officer or member thereof wilfully makes a false report or furnishes false information or dishonestly fails to maintain accounts or dishonestly maintains false accounts; or (b) any officer of a society wilfully recommends or sanctions for his own personal use or benefit or for the use or benefit of a person in whom he is interested loan in the name of any other person; or (c) an officer or any member destroys, mutilates, alters, falsifies or secretes or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities, or makes or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or (d) a member fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or (e) whoever, before, during or after the election of members of the Board of Directors or office bearers adopts any corrupt practice; or (f) an officer wilfully fails to hand over custody of books, records, cash, security and other property belonging to the society of which he is an officer, to a person appointed under Section 53 or 70. **Explanation**-For the purposes of this section an officer or a member referred to in this Section shall include past officer or past member, as the case may be." (5) After Section 74, the following Section shall be inserted, namely: - "**74-A. Irregularities**.-It shall be an Irregularity under this Act, if,-

	(a) any person collecting share money for a society information does not deposit the same in the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, a Central Co-operative Bank, an Urban Co-operative Bank or a Postal Savings Bank, within fourteen days of its receipt: or (b) a person collecting the share money for a society information makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society to be registered or otherwise; or (c) an officer or a member who is in possession of information, books and records, wilfully fails to furnish such information or produce such books and papers or does not give assistance to a person appointed or authorised by the Registrar under Section 53, 58, 59, 60, 67 and 70; or (d) any employer and other director, manager, secretary or other officer or agent acting on behalf of such employer who, without sufficient cause, fails to comply with provisions of sub-section (2) of Section 42; or (e) any person acquires or abets in the acquisition of any property which is subject to a charge under sub-section (1) of Section 40; or (f) an officer or member of a society or any person does any act in contravention of the rules; or (g) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeying any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the Act; or (h) any employer who without sufficient cause, fails to pay to a Co-operative society the amount deducted by him from its employee within a

	period of fourteen days from the date on which such deduction is made. **Explanation-**For the purposes of this section an officer or a member referred to in this section shall include past officer or past member, as the case may be." (6) For Section 75, the following Section shall be substituted, namely: - "**75. Punishment for offences.**-Every Board of Directors, officer or past officer or member or past member or an employee or past employee of a society or any other person shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be liable to be punished with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees provided that he is convicted of any offence mentioned in Section 74." (7) After Section 75, the following Section shall be added, namely: - "**75-A. Penalties for Irregularities.**-Every Board of Directors, officer or past officer or member or past member or an employee or past employee of a society or any other person shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be liable to be penalized by the Registrar with a penalty not exceeding Rs. 25 thousand for any irregularity mentioned in Section 74-A.”

7.	**In the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),** (1) In Section 145, for the words “fine” and “which may extend to two hundred rupees”, the words “penalty” and “of one thousand rupees” shall be substituted, respectively. (2) In sub-section (3) of Section 179, for the words “fine” and “which may extend to five hundred rupees”, the words “penalty” and “of five thousand rupees” shall be substituted, respectively. (3) In sub-section (4) of Section 182, for the words “fine” and “which may extend to five hundred rupees”, the words “penalty” and “of five thousand rupees” shall be substituted, respectively. (4) In sub-section (6) of Section 183, for the words “fine”, “which may extend to five hundred rupees” and “which may extend to ten rupees”, the words “penalty”, “of five thousand rupees” and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively. (5) In sub-section (3) of Section 185, for the words “fine”, “which may extend to twenty five rupees” and “which may extend to ten rupees”, the words “penalty”, “of one thousand rupees” and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively. (6) In sub-section (8) of Section 187, for the words “fine”, “which may extend to one thousand rupees” and “which may extend to one hundred rupees”, the words “penalty”, “of ten thousand rupees” and “of one thousand rupees” shall be substituted, respectively. (7) In clause (a) of sub-section (2) of Section 194, for the words “fine”, “which may extend to two hundred and fifty rupees” and “which may extend to five rupees”, the words “penalty”, “of two thousand rupees” and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively.

	(8) In sub-section (2) of Section 197, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (9) In Section 198, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five thousand rupees" shall be substituted, respectively. (10) In sub-section (5) of Section 208, for the words "which may extend to one thousand rupees", the words "of five thousand rupees" shall be substituted. (11) In Section 211, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (12) In sub-section (1) of Section 212, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (13) In sub-section (1) of Section 222, for the words "fine" and "which may extend to one hundred rupees", the words "penalty" and "of one thousand rupees" shall be substituted, respectively. (14) In sub-section (2) of Section 222, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (15) In sub-section (2) of Section 224, for the words "fine", "which may extend to fifty rupees" and "which may extend to ten rupees", the words "penalty", "of one thousand rupees" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (16) In sub-section (2) of Section 225, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be

	substituted, respectively. (17) In sub-section (2) of Section 226, for the words "fine", "which may extend to twenty five rupees" and "which may extend to ten rupees", the words "penalty", "of one thousand rupees" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (18) In Section 228, for the words "fine", "which may extend to one thousand rupees" and "which may extend to two thousand rupees", the words "penalty", "of five thousand rupees" and "of ten thousand rupees" shall be substituted, respectively. (19) In sub-section (4) of Section 231, for the words "fine", "which may extend to five hundred rupees" and "which may extend to twenty rupees", the words "penalty", "of five thousand rupees" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (20) In sub-section (1) of Section 236, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (21) In sub-section (2) of Section 236, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (22) In Section 239, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (23) In Section 240, for the words "fine", "which may extend to fifty rupees" and "which may extend to five rupees", the words "penalty", "of one thousand rupees" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (24) In sub-section (2) of Section 241, for the words "fine" and "which may extend

	to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (25) In sub-section (1) of Section 242, for the words "fine", "which may extend to twenty five rupees" and "which may extend to five rupees", the words "penalty", "of one thousand rupees" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (26) In of Section 246, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (27) In Section 250, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (28) In sub-section (2) of Section 253, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (29) In clause (a) of Section 254, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (30) In clause (b) of Section 254, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of one thousand rupees" shall be substituted, respectively. (31) In sub-section (2) of Section 255, for the words "fine", "which may extend to fifty rupees" and "which may extend to five hundred rupees", the words "penalty", "of five hundred rupees" and "of two thousand rupees" shall be substituted, respectively. (32) In Section 256, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees",

	the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (33) In Section 257, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (34) In Section 258, for the words "fine" and "which may extend to twenty five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (35) In sub-section (2) of Section 260, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of one thousand rupees" shall be substituted, respectively. (36) For sub-section (3) of Section 260, the following sub-section shall be substituted, namely: - "(3) Upon establishment of an offense under sub-section (2) in relation to any premises, the Chief Municipal Officer or any officer duly authorized by him (but not otherwise) shall issue an order to close such premises. Subsequently, the said premises shall be regulated in such a manner that persons may be appointed to prevent its use, or other appropriate measures may be taken. Any person who, after the issuance of an order to close such premises, uses the premises in such a manner or permits its use shall be liable to a penalty which may extend to five hundred rupees per day, for each day following the issuance of the closure order during which the premises continue to be used in such a manner or permission for such use is granted." (37) In sub-section (2) of Section 262, for the words "fine" and "which may extend to twenty-five rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees"

shall be substituted, respectively.

(38) In sub-section (4) of Section 264, for the words “fine” and the word “which may extend to fifty rupees”, the words “penalty” and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively.

(39) In sub-section (5) of Section 268, for the words “fine” and “which may extend to fifty rupees”, the words “penalty” and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively.

(40) For sub-section (6) of Section 268, the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(6) Upon the establishment of an offense under sub-section (5) in relation to any premises, the Chief Municipal Officer or any officer duly authorized by him (but not otherwise) shall issue an order to close such premises. Thereafter, the said premises shall be regulated in such a manner that persons may be appointed to prevent its use, or other appropriate measures may be taken. Any person who, after the issuance of such an order to close the premises, uses the premises in such a manner or permits its use shall be liable to penalty, which may extend to five hundred rupees per day, for each day following the issuance of the closure order during which the premises continues to be used in that manner or permission for such use is granted."

(41) In sub-section (2) and (3) of Section 269, for the words "Magistrate", “fine” and “which may extend to five hundred rupees”, the words "Chief Municipal Officer", “penalty” and “of five thousand rupees” shall be substituted, respectively.

(42) In sub-section (3) of Section 272, for the words “fine”, “which may extend to fifty rupees” and “which may extend to ten rupees”, the words “penalty”, “of

	one thousand rupees", and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (43) For sub-section (4) of Section 272, the following sub-section shall be substituted, namely:- "(4) Upon the establishment of an offense under sub-section (3) in relation to any premises, the Chief Municipal Officer or any officer duly authorized by him (but not otherwise) shall issue an order to close such premises. Thereafter, the said premises shall be regulated in such manner that persons may be appointed to prevent its use or other appropriate measures may be taken." (44) In Section 278, the words "which may extend to fifty rupees" the words "of one thousand rupees" shall be substituted. (45) In sub-section (2) of Section 283, for the words "fine", "which may extend to two hundred rupees" and "which may extend to forty rupees", the words "penalty", "of one thousand rupees", and "of one hundred rupees" shall be substituted, respectively. (46) In sub-section (4) of Section 283, for the words "fine", "which may extend to fifty rupees" and "which may extend to ten rupees", the words "penalty", "of five hundred rupees" and "of two hundred rupees" shall be substituted, respectively. (47) In sub-section (3) of Section 285, for the words "fine" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (48) In sub-section (2) of Section 290, for the words "which may extend to five hundred rupees" and "not exceeding fifty rupees", the words "of five thousand rupees" and "of one thousand rupees" shall be substituted,

	respectively. (49) In Section 291, for the words “Magistrate of the first class”, “fine” and “not exceeding twenty-five rupees”, the words “Chief Municipal Officer”, “penalty” and “of five thousand rupees” shall be substituted, respectively. (50) In Section 296, for the word “fine”, “which may extend to five hundred rupees”, “which may extend to five rupees” and “Magistrate” the words “penalty”, “of five thousand rupees”, “of five hundred rupees” and “Chief Municipal Officer”, shall be substituted, respectively. (51) In Section 297, for the words “fine”, “which may extend to fifty rupees” and “which may extend to five rupees”, the words “penalty”, “of five thousand rupees”, and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively. (52) In Section 300, for the words “Magistrate”, “fine” and “which may extend to fifty rupees”, the words “Chief Municipal Officer”, “penalty” and “of five hundred rupees” shall be substituted, respectively. (53) In sub-section (2) of Section 339-I, for the words “fine”, “Rs. 1000” and “Rs. 25,000”, the words “penalty”, “of ten thousand rupees” and “of two lakh fifty thousand rupees” shall be substituted, respectively. (54) In sub-section (4) of Section 339-I, for the words “fine” and “Rs. 25,000” the words “penalty” and “two lakh fifty thousand rupees” shall be substituted, respectively. (55) In sub-section (5) of Section 356, for the words “fine” and “which may extend to five hundred rupees”, the words “penalty” and “of five thousand rupees” shall be substituted, respectively. (56) In sub-section (5) of Section 357, for the words “fine”, “which may extend to five hundred rupees” and “which may extend to five rupees” the words “penalty”, “of five thousand rupees”, and “of five hundred rupees” shall be

	substituted, respectively.
8.	**In the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),** (1) In sub-section (3) of Section 142, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (2) In sub-section (2) of Section 165, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (3) In Section 166, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (4) In sub-section (1) of Section 170, for the words "fine" and "which may extend either to ten times the duty leviable on the articles or to fifty rupees, whichever may be greater", the words "penalty" and "of five thousand rupees" shall be substituted, respectively. (5) In Section 171, for the words "fine" and "which may extend either to ten times the value of such toll or cess on imports or to fifty rupees, whichever may be greater", the words "penalty" and "of five thousand rupees" shall be substituted, respectively. (6) In sub-section (2) of Section 199, for the words "fine", "may extend to five hundred rupees" and "not exceeding fifty rupees", the words "penalty", "shall be five thousand rupees" and "five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (7) In Section 200, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (8) In Section 201, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (9) In sub-section (2) of Section 236, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (10) In sub-section (2) of Section 252, for the words "fine", "not exceeding two thousand rupees" and "two hundred rupees", the words "penalty", "shall be

	two thousand rupees" and "one thousand rupees" shall be substituted, respectively. (11) In sub-section (5) of Section 257, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (12) In sub-section (4) of Section 258, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (13) In Section 272, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (14) In sub-section (2) of Section 290, for the words "fine" and "may extend to ten rupees", the words "penalty" and "shall be five thousand rupees" shall be substituted, respectively. (15) In sub-section (2) of Section 292-I, for the words, figures and symbol "fine", "Rs. 1000/-" and "Rs. 25000/-", the words "penalty", "ten thousand rupees" and "two lakh fifty thousand rupees" shall be substituted, respectively. (16) In sub-section (4) of Section 292-I, for the words "fine" and "Rs. 25000/-", the words "penalty" and "two lakh fifty thousand rupees" shall be substituted, respectively. (17) In sub-section (2) of Section 302, for the words "fine", "may extend to five thousand rupees" and "may extend to two hundred rupees", the words "penalty", "shall be five thousand rupees" and "shall be one thousand rupees" shall be substituted, respectively. (18) In sub-section (4) of Section 332, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (19) In Section 334, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (20) In sub-section (1) of Section 335, for the word "fine", the word "penalty"

	shall be substituted. (21) In sub-section (1) of Section 336, for the words "shall be as per Schedule-II", the words "shall be five thousand rupees" shall be substituted. (22) In sub-section (2) of Section 336, for the words and figures "shall be as per Schedule-II", the words "shall be five thousand rupees" shall be substituted. (23) In sub-section (1) of Section 340, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (24) In Section 341, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (25) In sub-section (2) of Section 342, for the word "fine" and "which may extend to one hundred rupees but not be less than twenty-five rupees", the words "penalty" and "of ten thousand rupees" shall be substituted, respectively. (26) In sub-section (3) of Section 343, for the word "fine", "which may extend to five hundred rupees" and "which may extend to fifty rupees", the words "penalty", "shall be five thousand rupees" and "of five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (27) In Section 344, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (28) In Section 345, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (29) In Section 346, for the word "fine", "may extend to one thousand rupees" and "two thousand rupees", the words "penalty", "shall be five thousand rupees" and "of ten thousand rupees" shall be substituted, respectively. (30) In Section 346-A, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (31) In Section 356, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.

	(32) In Section 357, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (33) In Section 358, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (34) In sub-section (1) of Section 360, for the words and figures "shall be as per Schedule-II", the words "shall be five hundred rupees" shall be substituted. (35) In sub-sections (3) and (5) of Section 360, for the words "shall be as per Schedule-II", the words "shall be one thousand rupees" shall be substituted. (36) In Section 361, for the words and figures "as per Schedule-II ", the words "five thousand rupees" shall be substituted. (37) In Section 363, for the words "any Magistrate of the First Class having jurisdiction" and "fine", the words "Commissioner" and "penalty" shall be substituted, respectively. (38) In Section 399, for the words and figures "according to Schedule-II", the words "five thousand rupees" shall be substituted. (39) In clause (a) of sub-section (1) of Section 428, for the words "fine", "may extend to five thousand rupees" and "may extend to one hundred rupees", the words "penalty", "shall be five thousand rupees" and "shall be five hundred rupees" shall be substituted, respectively. (40) In clause (b) of sub-section (1) of Section 428, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted. (41) In sub-section (2) of Section 428, for the words "offender", "fine" and "Magistrate", the words "violator", "penalty" and "Commissioner" shall be substituted, respectively. (42) In the heading of Section 434, for the word "**fine**", the word "**penalty**" shall be substituted. (43) In sub-section (1) of Section 434, for the words "shall be punishable with fine which may extend to the amount mentioned in the third column of the

said Table", the words "shall be punishable with such penalty as is mentioned in the third column of the said Table" shall be substituted.

(44) In sub-section (2) of Section 434, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.

(45) In sub-section (2) of Section 434, for the words "which may extend to the amount mentioned in the fourth column of the said table", the words "as is mentioned in the fourth column of the said table" shall be substituted.

(46) In Section 435, for the words "shall be according to Schedule-II", the words "shall be five thousand rupees" shall be substituted.

(47) In Section 437, for the words "shall be according to Schedule-II ", the words "shall be five thousand rupees" shall be substituted.

(48) In Section 438, for the words "or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "or with fine of five thousand rupees or with both" shall be substituted.

(49) In sub-section (1) of Section 439, for the words "or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "or with fine of five thousand rupees or with both" shall be substituted.

(50) In Section 440, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.

(51) For Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-II

Section, sub-section or clause	**Brief reference to subject matter**	**Penalty which shall be imposed**
(1)	(2)	(3)
Section 142 sub-section (3)	Wilful delay or obstruction in assessment work.	Five thousand rupees
Section 165 sub-	Omission or furnishing of wrong	Five thousand rupees

section (2)	information regarding tax liability	
Section 166	Furnishing wrong information regarding owner.	Five thousand rupees
Section 200	Discharging sewage etc. upon street or public place.	Five thousand rupees
Section 201	Construction or alteration of drains without authority.	Five thousand rupees
Section 236 sub-section (2)	Taking connection with main cable, pipe, drain etc., without permission.	Five thousand rupees
Section 257 sub-section (5)	Slaughter of animal for sale in unauthorized place.	Two thousand rupees
Section 258 sub-section (4)	Inaction in case of death of animal in one's charge.	One hundred rupees
Section 272 clause (c)	Failure to give information regarding dangerous disease.	Five thousand rupees
Section 332	Power to order for the protection of roads at the time of cutting of trees, construction or demolition of buildings, etc.	Five thousand rupees and in case of a second or subsequent violation, five hundred rupees per day
Section 334	Destruction of direction posts, lamp post etc.	One thousand rupees
Section 335 sub-section (1)	Sticking of Bills/Posters without permission.	Five thousand rupees
Section 340 sub-section (1)	Picketing animals without permission	Five hundred rupees
Section 341	Driving vehicles without proper light	Five hundred rupees
Section 344	Discharging fire-arms	Five thousand rupees

Section 345	Quarrying, blasting, cutting timber or building.	Five thousand rupees
Section 346-A	Spitting in any place other than drain or receptacle.	Five hundred rupees
Section 356	Allowing dogs to be at large without muzzle.	One thousand rupees
Section 357	Failure to control elephants	One thousand rupees
Section 358	Letting loose horse or other animals	One thousand rupees
Section 363	Illegal operation of Brothels	Five thousand rupees"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.